संख्या-126/2015/3831/26-3-2015-4(154)/2015टी.सी.।

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर 2015

विषयः- एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय बोझिया बहराईच के वर्कडन एवं वर्क टू-बी-डन के आधार पर अधूरे कार्य पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-11015/5(11)/2015-एस.जी.-।, दिनांक-17.09.2015 एवं निदेशालय, जनजाति विकास,उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-227/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-09.10.2015 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81के लेखाशीर्षक-"4225-02-796-01-04-24-बृहद निर्माण कार्य" अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बोझिया-बहराईच में निम्नलिखित अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु आय-ब्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-958.90 लाख (रूपया नौ करोड़ अट्ठावन लाख नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष रूपया-264.66 लाख (रूपया दो करोड़ चैसठ लाख छाछठ हजार मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की अनुमति प्रदान करते हैः-

(रूपये लाख में)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	**2**	**3**
1	मेन बिल्डिंग की फिनिशिंग कार्य हेतु	41.40
2	नवीन बाउन्ड्रीवाल कार्य	38.78
3	वाह्य स्थल विकास	157.26
4	नये आवासीय भवन टाइप-।, ।।, ।।।	12.18
5	नये पम्प हाउस वेटिंग रूम, गेस्ट रूम एवं गार्ड रूम	9.31
6	कलवर्ट एवं बोरिंग हेतु	5.73
	योग	**264.66**

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में विलम्ब होने से पुनः यदि लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत की जा रही धनराशि से विद्यालय में अधूरे कार्यो का निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(5) उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी।प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0100/राः)-24-वृहत निर्माण कार्य"के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 20155 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

<u>पृ0संख्या-126/2015/3831(1)/26-3-2015 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, बहराईच।
3- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0
4- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।